रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2353] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2010/कार्तिक 21, 1932

No. 2353] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2010/KARTIKA 21, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2010

का.आ. 2781(अ).—केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप-खंड (vi) के उपबधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14 मई 2010 द्वारा भारत सरकार टकसाल कोलकाता, नोएडा, मुम्बई, हैदराबाद एवं चेरलापल्ली, जो की औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 11 में शामिल है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15 मई, 2010 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिनांक 15-11-2010 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[फा. सं. एस-11017/2/2002-आईआर (पीएल)]

एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2010

S.O. 2781(E).—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so requires that in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of the clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, dated 14th May, 2010 the services in the India Government Mints, Kolkata, Noida, Mumbai, Hyderabad and Cheriapally which is covered by item 11 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) to be a Public Utility Service for the purpose of the said Act, for a period of six months with effect from 15th May, 2010.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a Public Utility Service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 15th November, 2010.

[F. No. S-11017/2/2002-IR (PL)]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

4400 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.